- (ग) इन समितियों का स्वरूप क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा प्रामीण शिक्षा समितियों हेतु केन्द्रीय बजट में से कितनी वित्तीय सहायता राशि का प्रावधान किया जा रहा है: और
- (ङ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु क्या अन्य नए प्रबंध किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विचाग में राज्य मंत्री (श्री मुझी राम सैकिया): (क) से (ङ) 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा उन विषयों में एक है जिसे पंचायती राज निकायों को अन्तरित किया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों को ग्राम स्तर को शिक्षा की विकेन्द्रीकृत आयोजना और प्रबंधन को सुकर बनाने वाले मुख्य कारक के रूप में परिकल्पना की गई है। हालांकि ग्राम शिक्षा समितियों की वास्तविक संस्वना राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न है फिर भी ग्राम शिक्षा समिति की परिकल्पना इस रूप में की गई है कि इसमें पंचायतों के चुने हुए पदाधिकारियों, ग्राम प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक, अभिभावकों तथा कमजोर वर्गों के प्रतिनिधियों सहित विस्तृत आधार पर प्रतिनिधित्व हो।

हालांकि केन्द्रीय बजट में ग्राम शिक्षा समितियों के लिए कोई विशिष्ट धनराशि अलग से नहीं रखी गई है, तथापि कित आयोग द्वारा निधि संबंधी राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक शुरू की गई एक प्रमुख पहल को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि 1996-97 में अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा सके।

राजीव गांधी शैक्षिक मिशन

1947. श्री जगन्नाय सिंहः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या राजीव गांधी शैक्षिक मिश्रन (राजीव गांधी एजुकेशनल मिशन) एक सरकारी योजना है; और
 - (स्क) यदि हां, तो तत्संबंधी क्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विष्माग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया): (क) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन मध्य प्रदेश सरकार के शालेय शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित सोसाइटी राजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक राज्य स्तरीय सवायत्त सोसाइटी है।

- (ख) यह भिशन निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत हैं:---
- मध्य प्रदेश में 15-35 के आयुवर्ग में लोगों के लिए साक्षरता कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- 2. 6—14 वर्षों के आयुवर्ग में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को सभी को सुलम कराना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशन मध्य प्रदेश राज्य में बाहरी सहायता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक शिक्षा संबंधी एक नई पहल का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके मुख्य संघटक हैं—

नए शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों का निर्माण, नए विद्यालयों को खोलना, विद्यालयों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों की व्यवस्था, शिक्षकों का प्रशिक्षण, वैकल्पिक विद्यालयों/गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलना, प्राथमिक पूर्व विद्यालयों, आश्रम शालाओं को खोलना, पाद्यवर्या संशोधन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को सुदृढ़ करना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना, प्रखण्ड संसाधन तथा सामृहिक संसाधन केन्द्रों की स्थापना, इत्यादि।

Conversion of catchment areas into

1948. SHRI ONWARD L. NONGTDU: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

- (a) whether Government are aware that the catchment areas in the North-Eastern Region are being destroyed by Jhumming; and
- (b) if so, whether Government propose to acquire and convert those areas into reserve forest; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (Capt. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) Yes, Sir. According to State of Forests Report, 1993 there is a loss of 635 sq. km. forests/tree cover in North-Eastern Region, over the last assessment. Out of

76

which loss of 387 sq. km. is due to Jhumming.

- (b) Central Government have no proposal to acquire and convert these areas into reserved forests, as the power to constitute reserved forests lies with the State Governments. However, Central Government have taken following measures for protection and development of forests in North-Eastern Regions:
 - (i) State Governments have been requested to consider for putting a ban on felling of green trees above 1000 metres altitude.
 - (ii) Central Government provides financial assistance to States for development of forests, directly as well as through North-Eastern Council.
 - (iii) A regional office of the Ministry has been set up at Shillong to monitor cases under Forest (Conservation) Act. 1980 and Environment Protection Act, 1986. as well as to improve coordination between Central and State Governments.

Direct train from Bhavnagar to Delhi

1949. SHRIMATI URMILA-BEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there is no direct train from Bhavnagar to Delhi:
- (b) whether Government have considered the demand of the people of this area for a direct train made in the past; and
- (c) if so, the action taken in this regard so far and by when a direct train is likely to be introduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) Thre is no direct train.

available between Bhavnagar and Delhi. However, one II sleeper class (GSCN) has been introduced between Bhavnagar and Delhi by 2999239902-9901/9924/30 w.e.f. 10.5.95.

At present, there is no proposal to introduce a direct train between Bhavnagar and Delhi.

मऊ और शाहराज के मध्य गेज परिवर्तन

1950. **श्री मोहम्मद मसूद खानः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सन्व है कि मऊ और शाहगंज के बीच गेज परिवर्तन का कार्य धन की कमी के कारण प्रगति नहीं कर सका है;
 - (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है और इस कार्य की अनुमानित लागत कितनी है;
 और
- (घ) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस संबन्ध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल प्रहाराज); (क) जी नहीं, कार्य सुचारू रूप से चल रहा है;

- (ख) प्रश्न नहीं उठता:
- (ग) परियोजना की अनुमानित लागत 43.38 करोड़ रू॰ है जिसमें से 31.3.96 तक 17 करोड़ रू॰ खर्च हो गए हैं। इस कार्य के लिए बजट 96-97 में 27 करोड़ रू॰ की राशि आबंटित की गई है;
- (घ) इस कार्य की जून, 96 तक हुई प्रगति 70% है। इस कार्य के लिए धन एवं सामग्रियां उपलब्ध करा दी गई है और यह कार्य 30 नवंबर, 1996 तक पूरा हो जाएगा;